मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शिवनारायण मीणा, सदस्य ने उनके बीनागंज कार्यालय में दिनांक 23 जुलाई, 2010 को कुछ बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ एवं चोरी करने की घटना पर आसंदी का ध्यानाकर्षित कर, शासन द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया गया कि घटना की पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तत्परतापूर्वक जांच कर एवं दोषी व्यक्तियों को पकड़ा कर अवगत कराया जाए।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी के करेरा के कृषकों को भू-अर्जन कर मुआवजा न दिये जाने,
(2) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल कार्ड न बनाये जाने,
(3) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के शा. एवं निजी चिकित्सालयों में ड्रग ट्रायल्स किये जाने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की खरगौन में रेत खदानों से राजस्व हानि होने,
(5) श्री अजय यादव, सदस्य की जिला टीकमगढ़ घसान नदी पर बने पचेर घाट का पुल टूटने,
(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना का गलत क्रियान्वयन होने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम श्यामपुर से आछापुर विद्युत लाईन के तार चोरी होने,
(8) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर नगर के कटिया कला में स्थित माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल किए जाने,
(9) श्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी,सदस्य की खण्डवा हरसूद में डूब में आई भूमि का मुआवजा सही व्यक्तियों को देने तथा
(10) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की इन्दौर में सीमेंट विक्रय में वेट कर की हानि होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का निष्पादन एवं लेनदेन लेखापरीक्षा (सिविल), तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त,

पटल पर रखे।

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में छः सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर छः ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने प्रदेश में संचालित 108 एम्बूलेंस सेवा प्रदायकर्ता संस्था द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने शिवा कार्पोरेशन कम्पनी द्वारा नर्मदा एवं तवा नदियों से रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री मोती कश्यप एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण, ने जबलपुर नगर के गोरखपुर की पुलिस द्वारा युवक के हमलावरों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सिंगरौली जिला चिकित्सालय द्वारा गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 12.59 बजे से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने रतलाम शहर स्थित जहांगीर आइल मिल के पास अनुसूचित जाति के पुजारी का मकान असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते एवं श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यगण ने मण्डला जिले के एक ही ग्राम के अनेक कृषकों को कृषि प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नवम् प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार कर, निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-10)	श्री बृजमोहन धूत	20 मिनट
2. (क्रमांक-31)	श्री प्रताप ग्रेवाल	20 मिनट
3. (क्रमांक-32)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी	50 मिनट
4. (क्रमांक-34)	श्री आरिफ अकील	50 मिनट

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2010 को किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण : -

" दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार तीन सौ सत्तर करोड़, तेरह लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(8) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(9) श्री मनीराम धाकड़
(10) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(11) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(12) श्रीमती साधना स्थापक
(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(14) श्री परसराम मुद्गल
(15) श्री श्रीकांत दुबे
(16) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(17) श्री ताराचंद बावरिया
(18) श्री अजय सिंह

(19) श्री राधेलाल बघेल
(20) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(21) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(22) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

9. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 6 के उप पद (4) में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की ।

10. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक के अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(2) श्री शंकरलाल तिवारी

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 5.52 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 (श्रावण 7, 1932) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2010